

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/562

30.09.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: डीटीए इकाइयों के लिए आरओडीटीईपी योजना को 30.09.2025 से आगे बढ़ाने तथा डीटीए/एए/एसईजेडआईईओयू निर्यात पर 31.03.2026 तक लागू करने के संबंध में।

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना 35/2025 दिनांक 30.09.2025

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया अधिसूचना के अनुसार, **निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना को 30 सितंबर 2025 से आगे बढ़ा दिया गया है और अब यह 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।**

मुख्य बातें:

1. पात्रता:

- यह योजना निम्नलिखित से किए गए निर्यात पर लागू होगी:
 - घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) इकाइयाँ
 - अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारक
 - विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयाँ
 - निर्यातानुमुखी इकाइयाँ (ईओयू)

2. मौजूदा दरें:

- वर्तमान अधिसूचित RoDTEP दरें सभी पात्र निर्यात वस्तुओं पर लागू रहेंगी।
- इस योजना का संचालन विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 4.54 में उल्लिखित बजटीय ढांचे के अधीन है।

3. पात्र वस्तुओं की सूची:

- पात्र निर्यात वस्तुओं की सूची, लागू दरें, तथा प्रति इकाई मूल्य सीमा (जहां भी लागू हो) डीजीएफटी वेबसाइट पर देखी जा सकती है:

- डीटीए इकाइयों के लिए: **परिशिष्ट 4आर**
- एए/एसईजेड/ईओयू इकाइयों के लिए: **परिशिष्ट 4आरई**
- वेबसाइट : www.dgft.gov.in
- नेविगेशन: विनियम > RoDTEP

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त परिशिष्टों का संदर्भ लें और RoDTEP योजना के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया अपने संदर्भ के लिए मूल अधिसूचना देखें

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20250930040852.pdf

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल